Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

66-2020/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MAY 15, 2020 (VAISAKHA 25, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 15 मई, 2020

संख्या 22/76/2003–2परि.(1).– मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59), की धारा 67 की उपधारा (1) के खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, अधिसूचना 22/76/2003–2परि(1), दिनांक 4 नवम्बर, 2019 के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, राज्य परिवहन प्राधिकरण, हरियाणा को हरियाणा राज्य में मंजिली गाड़ियों के लिये किराये और माल–भाड़े की दरों को नियत करने सम्बन्धी निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं, अर्थात्:–

निर्देश

राज्य परिवहन प्राधिकरण, हरियाणा को इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है कि राज्य में मंजिली गाड़ियों के लिये किराये और माल–भाड़े की निम्नलिखित दरें नियत करें:–

क्रम संख्या	सेवा की किस्म	सकल किराया (यात्री कर को शामिल करने के उपरान्त) पैसा/यात्री प्रति किलोमीटर	व्यक्तिगत सामान का भाड़ा
1	2	3	4
1.	मैदानी क्षेत्र में सभी पक्की सड़को के लिए	(i) 100 किलोमीटर की दूरी तक 100.00 (ii) 100 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिये 105.00	40 किलोग्राम प्रति व्यक्ति से अधिक सामान पर प्रति किलोमीटर प्रति 40 किलोग्राम के लिये आधा भाड़ा।
2.	उश्मादार, हवादार और वातानुकूलित बसें	150.00	
3.	अंतर्राज्यीय आराम–देय वातानुकूलित बसें (दिल्ली–चण्डीगढ़ को जोड़ने वाले राज्य के लॉन्ग रूट पर पुरानी वोल्वो/मर्सिडिज बसें) वोल्वो/मर्सिडिज	175.00	
4.	परम आराम–देय वातानुकूलित बसें। वोल्वो/मर्सिडिज (चण्डीगढ़–दिल्ली–गुरूग्राम मार्ग पर परिचालित)	250.00	

Explanations:-

1. If distance is more than 100 kilometers, the fare shall be 105.00 paisa per passenger per kilometre for the entire distance including first 100 kilometer.
2. The minimum chargeable fare (after including passenger tax) shall be five rupees.
3. Freight for personal luggage shall be half of the standard/ordinary bus fare per Kilometre per 40 Kilograms. No fare shall be charged for personal luggage below 40 Kilograms of weight.
4. Other explanations:-

   (a) Fare calculated (including Passenger Tax) for different stages of bus routes shall be rounded off to the nearest rupee.

   (b) The fraction below half a kilometre shall be ignored and more than half a kilometre shall be treated as full kilometer.

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government Haryana,
Transport Department.

8768—C.S.—H.G.P., Pkl.

निदेशालय, राज्य परिवहन, हरियाणा
30-बेज बिल्डिंग, द्वितीय तल, सैक्टर-17, चण्डीगढ़
फोन न0 0172-2708035, ई-मेल: dtctrhr@gmail.com

सेवा मे,

केवल ई-मेल द्वारा

1. सभी महाप्रबन्धक,
हरियाणा राज्य परिवहन।

2. उडनदस्ता अधिकारी,
आई0एस0बी0टी0, दिल्ली।

क्रमांक 1233-1257/टी0आई-4

दिनांक 22-06-2020

विषय: हरियाणा राज्य में राज्य परिवहन की बसों पर लगने वाले टोल टैक्स की वसूली की दर बढाने बारे।

उपरोक्त विषय पर हरियाणा सरकार द्वारा जारी टोल-टैक्स की नोटिफिकेशन संख्या 13/11/2016-6टी(I)/दिनांक 15/16.12.2016 के संदर्भ में।

संदर्भित पत्र द्वारा टोल टैक्स की दरों में बढौतरी की गई थी। यह गणना संचालित मार्ग पर टोल-टैक्स के कुल खर्चे को 52 यात्रियों पर बांटते हुए की गई थी। सरकार के उपरोक्त आदेश दिनांक 16.12.2016 के पश्चात कई मार्गो पर नये टोल टैक्स लगाए गए हैं जैसे पंचकूला-यमुनानगर मार्ग पर, अम्बाला-हिसार मार्ग पर व सिरसा-रोहतक मार्ग पर इत्यादि। इसके अतिरिक्त पूर्व में चल रहे टोल टैक्स की दरों में भी बढौतरी की गई है।

वर्तमान में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा समय-2 पर जारी हिदायतों के अनुसार बसों में यात्रियों की अधिकतम संख्या 30-32 तक निर्धारित की गई है। जिसके कारण प्रति यात्री टोल टैक्स के खर्च को 52 यात्रियों के स्थान पर 30 यात्रियों मे बांटा जाना है। इसलिए टोल टैक्स की प्रचलित दर को बढाना और भी अनिवार्य हो गया है ताकि राज्य परिवहन द्वारा बसों पर दी जाने वाली टोल-टैक्स की राशि की भरपाई किराये के रूप में की जा सके।

सिर्फ कोरोना महामारी के दौरान टोल-टैक्स की राशि निम्न तालिका अनुसार वसूलना सुनिश्चित करें।

Distance Travelled by the passengers on Road on which user charges are imposed (in KM)	Existing rate of Toll Tax(In Rs.)	Proposed rate of Toll Tax(In Rs.)
1-15	2	3
16-25	3	5
26-30	4	7
31-50	5	8
51-70	6	10
71-90	7	12

T.I.

91-110	8	13
111-130	9	15
131-150	10	17
151-170	11	18
171 and above.	12	20

अतः आपको निर्देश दिए जाते हैं कि सिर्फ कोरोना महामारी के दौरान ही आप अपने अधीन कार्यरत परिचालकों को आदेश देवें कि उपरोक्त तालिका अनुसार यात्रियों से टोल टैक्स की वसूली करना व परिचालक द्वारा जारी टोल-टैक्स वाली टिकट पर Corona Period भी लिखवाना सुनिश्चित करें।

प्रेम सिंह, ईन्चार्ज(या0),
कृते: निदेशक राज्य परिवहन,
हरियाणा चण्डीगढ़।